राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक : 31 DEC 2021

आदेश

विषयः–69–ए के प्रकरणों में गूगल मैप के संबंध में :–

नगर पालिका अधिनियम की धारा 69–ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 54–ई, अजमेर व जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50–बी व नगर सुधार अधिनियम की धारा 60–सी के अन्तर्गत अकृषि भूमि के स्वामित्व/अधिकार को समर्पण कर पट्टा दिया जाने का प्रावधान है। कई प्रार्थीयों को गूगल मैप पर प्रोपर्टी चिन्हित करने में समस्या आ रही है, जिससे पट्टे देने में कठिनाई आती है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि 69–ए के प्रकरणों में मौका रिपोर्ट के साथ संबंधित कर्मचारी द्वारा गूगल लोकेशन अंकित कर पार्ट प्रति पत्रावली में संलग्न की जावें। पट्टों को गति देने के उद्देश्य से कम से कम औपचारिकतायें रखी जावें।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

31/12/2021
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय

Scanned by PDF Scanner